

(24) ट्रेड-बैंकिंग

कक्षा- 12

कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र-2021-22 में विद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत् 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम कम किये जाने की अनुशंसा की गयी है :-

प्रथम प्रश्न-पत्र

(बहीखाता तथा लेखाशास्त्र—I)

3—भारतीय बहीखाता पद्धति के सैद्धान्तिक अध्ययन और बहियों का प्रयोग। 20

द्वितीय प्रश्न-पत्र

(बहीखाते तथा लेखाशास्त्र—II)

1—कम्पनी खाते

2—बैंक सम्बन्धी लेखे। 10

3—बैंकिंग कम्पनियों के लाभ-हानि, खाता एवं चिट्ठा, बैंकिंग अधिनियम के अनुसार। 10

तृतीय प्रश्न-पत्र

(व्यावसायिक एवं कार्यालय संगठन)

3—बीजक (देशी तथा विदेशी) तथा बिक्री विवरण तैयार करना। 20

चतुर्थ प्रश्न-पत्र

(बैंकिंग)

3—विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय। 10

पंचम प्रश्न-पत्र

(बैंकिंग)

1—बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 10

उपर्युक्त के अनुक्रम में 70 प्रतिशत का पाठ्यक्रम निम्नवत् है—

प्रथम प्रश्न-पत्र

(बहीखाता तथा लेखाशास्त्र—I)

अधिकतम—60 अंक

न्यूनतम—20 अंक

1—प्रेषण, संयुक्त साहस खाते, चालू हिसाब और औसत भुगतान विधि। 30

2—साझेदारी फर्म के खाते—प्रवेश, निवृत्ति, मृत्यु तथा साझेदारी समापन की दशा में। 30

द्वितीय प्रश्न-पत्र
(बहीखाते तथा लेखाशास्त्र—II)

अधिकतम—60 अंक

न्यूनतम—20 अंक

- 1—अंशों का निर्गमन तथा आहरण, बोनस, अंश ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन कम्पनी से अन्तिम खाते
(कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार)। 60

तृतीय प्रश्न-पत्र
(व्यावसायिक एवं कार्यालय संगठन)

अधिकतम—60 अंक

न्यूनतम—20 अंक

- 1—कार्यालय उपकरण—श्रम, बचत, उपकरण 30
2—विवरण के माध्यम—थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, श्रंखला दुकानें, विभागीय भण्डार, डाक द्वारा व्यापार। 30

चतुर्थ प्रश्न-पत्र
(बैंकिंग)

अधिकतम—60 अंक

न्यूनतम—20 अंक

- 1—भारतीय मुद्रा बाजार एवं वित्त बाजार—मुख्य अंक, दोष, सुधार के उपाय। 20
2—साख एवं साख पत्र—साख का अर्थ, भेद अनुकूल परिस्थितियां, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा-पत्र, हुण्डी, बैंक
ड्राफ्ट स्वीकृति पत्र एवं चेक/चेक के प्रकार, भेद, रेखांकन, बेचान एवं अनावरण। 40

पंचम प्रश्न-पत्र
(बैंकिंग)

अधिकतम—60 अंक

न्यूनतम—20 अंक

- 2—सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, कृषक सेवा समितियाँ, लीड बैंक,
भूमि विकास बैंक, डाक विभाग की बैंकिंग सेवायें। 30
3—समाशोधन गृह—बैंकों द्वारा चेकों एवं बिलों आदि का समाशोधन महत्व, संग्रहकर्ता (बैंक) द्वारा रखी जाने
वाली सावधानियाँ। 30